



हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट, भोपाल

प्रचार एवं जनसंपर्क विभाग

दिनांक: 22/03/2024

दैनिक प्रेस क्लिप



आज की समाचार कतरनें

S no.	Publication	Subject	Page no.
01	Dainik Jagran	Order related news	02
02	Sach Express	Order related news	03
03	Sach Express	Award related news	04
04	Swadesh	LGX Dept. related news	05
05	Swadesh	Safety related news	06
06	Patrika	TAD related news	07
07	Hariboomi	Employee related news	08

Publication Date-	22.03.2024	Dainik Jagran
Page no.-	04	
Journalist-	Bhopal Bureau	

भेल को मिला सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट का ऑर्डर

भेल। अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के तहत, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) को ईपीसी आधार पर 2x800 मेगावाट सिंगरौली सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) स्टेज तीन की स्थापना के लिए एनटीपीसी लिमिटेड से ऑर्डर मिला है। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के सिंगरौली में मौजूदा 2,000 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन के निकट स्थापित किया जाएगा। विशेष रूप से, 1982 में बीएचईएल द्वारा स्थापित, सिंगरौली टीपीएस उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी का पहला बिजली संयंत्र था।



बीएचईएल द्वारा सिंगरौली में पहले स्थापित मशीनें कमीशनिंग के बाद से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। परियोजना के लिए प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति बीएचईएल की हरिद्वार, त्रिची, बेंगलुरु, हैदराबाद, रानीपेट और भोपाल स्थित विनिर्माण इकाइयों द्वारा की जाएगी। बीएचईएल अपने अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

Publication Date-	20.03.2024	Sach Express
Page no.-	03	
Journalist-	Bhopal Bureau	

सिंगरौली में भेल बनाएगा 1600 मेगावाट का सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट

सच प्रतिनिधि || भोपाल

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के तहत भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ईपीसी आधार पर 2-800 मेगावाट सिंगरौली सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्टेज थर्ड की स्थापना के लिए एनटीपीसी लिमिटेड से ऑर्डर मिला है। यह संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सिंगरौली में मौजूदा 2,000 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन के निकट स्थापित किया जाएगा। विशेष रूप से 1982 में बीएचईएल द्वारा स्थापित सिंगरौली टीपीएस उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी का पहला बिजली संयंत्र था।

बीएचईएल द्वारा सिंगरौली में पहले स्थापित मशीनें कमिशनिंग के बाद से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर



रही हैं। परियोजना के लिए प्रमुख उपकरणों की आपूर्ति बीएचईएल की हरिद्वार, त्रिची, बेंगलुरु, हैदराबाद, रानीपेट और भोपाल स्थित विनिर्माण इकाइयों द्वारा की जाएगी। बीएचईएल अपने अत्याधुनिक तकनीकी समाधानों के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभा रहा है।

देश में स्थापित 1,34,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांटों में 957 प्रतिशत के अपने विशाल पोर्टफोलियो के साथ बीएचईएल थर्मल यूटिलिटी परियोजनाओं में मार्किट लीडर है और साथ ही जीवनकाल बढ़ाने और दक्षता और विश्वसनीयता को उन्नत करने के लिए पुराने सेटों के आर एंड एम के क्षेत्र में भी अग्रणी है। अब तक बीएचईएल ने देश में 68 सुपरक्रिटिकल स्टीम जेनरेटर; एसजी और 63 सुपरक्रिटिकल टर्बाइन जेनरेटर; टीजी के आर्डर प्राप्त किये हैं, जिनमें से 34 एसजी और 25 टीजी चालू किये जा चुके हैं और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।

Publication Date-	20.03.2024	Sach Express
Page no.-	03	
Journalist-	Bhopal Bureau	



Publication Date-	22.03.2024	Swadesh
Page no.-	05	
Journalist-	Bhopal Bureau	

**ट्रांसपोर्ट कंपनी
के प्रतिनिधि ने
दर्ज कराई
शिकायत**

भेल का सामान लेकर निकला ट्रक हुआ गायब

**ट्रक के मालिक व तीन अन्य
पर गवन का प्रकरण दर्ज**

स्वदेश संवाददाता, भोपाल

ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक ने भेल कारखाने का सामान लेकर हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकला था। तय समय पर जब वह नहीं पहुंचा तो मामले की शिकायत पुलिस को कर दी गई। पुलिस ने ट्रक के मालिक, चालक, क्लीनर व एक अन्य के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोविंदपुरा पुलिस ने बताया कि उमेश वासनिक दिल्ली की एक

ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करते हैं वे भोपाल में कंपनी के प्रतिनिधि हैं तथा यहां पर कटारा हिल्स इलाके में रहते हैं। उन्होंने एक शिकायती आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी को टेंडर के जरिए गत 12 फरवरी को भेल की केबिल व अन्य सामान हिमाचल प्रदेश भेजा था। यह ट्रक अपने नियत स्थान पर पहुंचने के बजाए रास्ते में ही गायब हो गया। जिस दिन ट्रक को हिमाचल प्रदेश में अपने नियत स्थान पर पहुंचना था उस दिन वासनिक ने पता किया तो ट्रक नहीं पहुंचा था। इसके बाद उन्होंने तलाश करने की कोशिश की

लेकिन ट्रक नहीं मिला। बाद में उन्होंने ट्रक मालिक से बात की तो उन्हें संदेह हुआ कि ट्रक मालिक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक को गायब किया है। इसके बाद वासनिक ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के बाद ट्रक मालिक राजू चौहान, रवि, रोहन व जालम के खिलाफ अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि ट्रक नोएडा के पास मिल गया है। ट्रक को बरामद करने के लिए पुलिस की टीम जल्द ही नोएडा जाएगी।

Publication Date-	22.03.2024	Swadesh
Page no.-	04	
Journalist-	Bhopal Bureau	

कर्मचारियों को मिलेंगे सुरक्षा जूते

भोपाल। भेल के एचआर विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुये कहा है कि सभी पात्र महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के लिए सुरक्षा जूते कारखाना मुख्य भंडार में उपलब्ध हैं। सुरक्षा जूते का वितरण कारखाना मुख्य भंडार से संलग्न सारणी अनुसार किया जाएगा। कारखाना मुख्य भंडार से सुरक्षा जूते प्राप्त करने हेतु इंटरनेट के मास वेब पेज पर सूची उपलब्ध है। विभाग से नामित कर्मचारी उपरोक्त सूची को प्रिंट कर कारखाना मुख्य भंडार से सुरक्षा जूते प्राप्त कर सकेंगे। कारखाना मुख्य भंडार से सभी पात्र महिला एवं पुरुष कर्मचारियों को आपूर्ति आज से आरंभ की गई है।

Publication Date-	22.03.2024	Patrika
Page no.-	04	
Journalist-	Bhopal Bureau	

भेल की जमीन पर कब्जा, बिजली चोरी पर केस दर्ज की मांग

भेल. भेल नगरीय सलाहकार समिति की चौथी बैठक नर्मदा गेस्ट हाउस के देवी अहिल्या सभा गृह में आयोजित की गई। इस बैठक में पिपलानी बी सेक्टर में झुगियां राज्य सरकार के द्वारा हटाई गई हैं और हटाए गए लोगों को भेल की जमीन पर जो बसाया गया है, इस पर बहस हुई। भेल की जमीन पर अवैध कब्जा, बिजली चोरी व सामान इत्यादि चोरी की एफआईआर दर्ज करने एवं सभी प्रकरणों की देखरेख के लिए एक विशेष कानूनी अमले का गठन किए जाने की मांग की गई। वहीं, पिपलानी ए सेक्टर सरंपाणी लेक के पास सुअर पालन किया जा रहा है। उद्योग नगरी में मल्टीस्टोरी बनाने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। यूनियनों ने इस मुद्दे पर भी टाउनशिप में लगातार हो रहे कब्जे पर चर्चा की।

Publication Date-	22.03.2024	Hariboomi
Page no.-	02	
Journalist-	Bhopal Bureau	

एक्सीडेंट में मौत, मृतक के परिजनों को 82 लाख 23 हजार का मुआवजा

भोपाल। रोड एक्सीडेंट में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में आर्टिजन के पद पर पदस्थ व्यक्ति की मौत हो जाने के मामले में अपर न्यायाधीश माधव प्रसाद नामदेव की अदालत ने मृतक के परिजनों को 82 लाख 23 हजार 9008 रुपए की मुआवजा राशि अंदा किए जाने के आदेश ट्रक मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिए हैं।

सनी हिंगोरानी एडवोकेट ने बताया कि अवधपुरी भोपाल निवासी मेनो साइमन बारिक 2 फरवरी 2019 को मेनो साइमन बारिक कार द्वारा पादर से धमतरी जा रहा था। इसी दौरान कोडेनाड भाटापारा के पास ट्रक चालक ने तेजी और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए उसकी कार में रांग साईड से जोरदार टक्कर मार दी थी।